अध्याय 03

राजा चक्रधर सिंह का प्रशासन में योगदान

3.1 रायगढ़ रियासत की प्रशासनिक पृष्ठभूमि.

3.2 रायगढ़ रियासत की प्रारंभिक प्रशासन व्यवस्था.

3.3 रायगढ़ रियासत की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था.

3.4 रायगढ़ रियासत की पुलिस प्रशासन व्यवस्था.

3.5 रायगढ़ रियासत की जेल प्रशासन व्यवस्था.

3.6 रायगढ़ रियासत की न्याय प्रशासन व्यवस्था.

3.7 रायगढ़ रियासत की शिक्षा प्रशासन व्यवस्था.

3.8 रायगढ़ रियासत की लोक स्वास्थय.

3.9 रायगढ़ रियासत की राजस्व प्रशासन व्यवस्था.

3.10 पाद टिप्पणी अध्याय 03.

अध्याय 03

नरेश चक्रधर सिंह का प्रशासन में योगदान

3.1 रायगढ़ रियासत की प्रशासनिक पृष्ठभूमि.

रायगढ़ रियासत की आरंभिक प्रशासन व्यवस्था के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्रारंभ में रियासती भू–भाग उत्तर तथा दक्षिण के विशाल साम्राज्यों का अंग रहा पर इस क्षेत्र पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं हो सका। ग्यारहवीं सदी के आरंभ में त्रिपुरी के कलचुरी वंश की शाखा द्वारा रतनपुर में स्थापित राज्य की अधीनता में आने के उपरांत इस क्षेत्र में प्रशासनिक संगठन स्थापित किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।[01] कलचुरी काल में राज्यों को कई मंडलों में बांटा गया तथा मंडलों का विभाजन गढ़ों एवं गढ़ों का विभाजन चौरासी में किया गया था। मंडल का अधिपति मांडलिक कहलाता था। मांडलिक से बड़ा महामण्डलेश्वर था जो सामंत राजा होता था।[02]

कलचुरी नरेश कल्याण के शासन काल में राज्य 48 गढ़ या चौरासी में विभाजित था। इसके अंतर्गत 84 गांव होते थे जिसका प्रधान दीवान कहलाता था। प्रत्येक चौरासी में 7 बरहे थे जिसके प्रधान को दाऊ कहते थे। प्रत्येक बरहे में 12 गांव थे। गांव का प्रमुख गौटिया कहलाता था। कर वसूली तथा अन्य शासकीय कार्यविधि के लिए चौरासी

का अधिकारी राजा के प्रति उत्तरदायी होता था।[03] इस प्रकार हम देखते हैं

कि गढ़ प्रणाली की शरूवात कलचुरी शासन में आरंभ हुई। कालांतर में कुछ कलचुरी नरेशों की कमजोरी का लाभ उठाकर गढ़ों के दीवान अपने क्षेत्रों के वास्तविक प्रशासक बनते जा रहे थे, तथा इन गढ़ों पर अधिकार समाप्त हो रहा था। आगे चलकर ये गढ़ कलचुरी नरेशों के अधीन मात्र सामंती इकाई रह गयी जो आंतरिक प्रशासन में प्रायः स्वतंत्र होती थी।[04] हैह्यवंशी शासन के दौरान रायगढ़ के सामंत शासक को कर देते थे पर आंतरिक शासन में स्वतंत्र थे। इस तरह सामंतीय शासन व्यवस्था का विकास हुआ। इस युग में गांवों मे गौटिया पद्धति का विकास हुआ, जिसके नियंत्रण में गांव की पंचायते होती थीं। गौटिया इनके द्वारा फौजदारी व दीवानी मामलों का निपटारा करता था। गौटिया क्षेत्र के जमींदार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था।[05] कलचुरियों का शासन समाप्त होने के पश्चात् रायगढ़ रियासत मराठों की करद बन गयी।[06] किंतु मराठा काल में भी प्रशासन में किसी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिला।[07] मराठों का मुख्य उद्येश्य रियासतों से जितना हो सके धन वसूलना था, न कि प्रशासन को सुधारना रहा। खास तौर से सूबा शासन की स्थिति दयनीय थी। सूबो ने इस क्षेत्र की जनता से वाजिब एवं गैर वाजिब तरीकों से धन वसूल किया तथा अधीनस्थ जमींदारों पर सैनिक बल का प्रयोग किया।[08] मराठा शासन के अंतर्गत जब सूबा प्रशासन की

स्थापना छत्तीसगढ में हुई तो नागपुर के समान इस क्षेत्र में भी मराठों ने प्रशासकीय इकाईयों का गठन कियां था। करद राज्यों के प्रशासन में मराठों का हस्तक्षेप नहीं के बराबर था। फिर भी रियासतों में मराठों द्वारा लगातार लूट मार, बल प्रयोग आदि के फलस्वरूप वहां की प्रशासन व्यवस्था शिथिल होती जा रही थी।[09] संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि मराठों का रायगढ़ रियासत में प्रशासन में योगदान नाममात्र ही रहा।

3.2 रायगढ़ रियासत की प्रारंभिक प्रशासन व्यवस्था.

3.2.1 चक्रधर सिंह से पूर्व की व्यवस्था.

26 मार्च 1804 को रायगढ़ के राजा जुझार सिंह ने कर्नल ब्राउटन के समक्ष याचिका प्रस्तुत की और एक घोषणा द्वारा रियासत को अंग्रेजों के आधीन मान लिया।[10] 25 मई 1819 को उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कबूलियत दी, जिसके अनुसार राजा की स्वेच्छा से संपूर्ण रायगढ़ उसकी टप्पा तथा पिल्का भूमि, तारापुर तथा खास रायगढ़ के लिए बंदोबस्त किया गया। इसके द्वारा वह अंग्रेजो को 30 स्वर्ण मुद्राए वार्षिक टकोली देता था।[11] 1827 में पांच वर्षो का बंदोबस्त किया गया और तभी जुझार सिंह को न्यायिक एवं पुलिस प्रशासन की नियंत्रित शक्तियां मिली, तथा इस रियासत पर तब गर्वनर जनरल के एजेण्ट अधीनस्थ अधिकारियों का नियंत्रण स्थापित हो गया शासक इनके निर्देश मानने को बाध्य थे। इसके पश्चात देवनाथ सिंह ने शासन संभाला। 1833 में बरगढ़ के अजीत सिंह के द्वारा अंग्रेजों के विरूद्ध किए गऐ विद्रोह के दमन में

उसने अंग्रेजों की मदद की अतः अंग्रेजों ने खुश होकर रायगढ़ के कर को घटाकर 8 स्वर्ण मुद्रायें कर दी।[12] यह टकोली बाद में 170–10–8 सरकारी रूपये में परिवर्तित कर दी गई, बरगढ़ का रायगढ़ रियासत में मिलाऐ जाने के बाद टकोली 340–10–08 रूपये हो गई। जिसमें बरगढ़ की 170 रूपये टकोली जोड़ दी गई थी। इस दौरान नागपुर के भोसलें राजा की स्थिति कमजोर थी। रघुजी की मृत्यु के बाद 1854 में नागपुर का भोसलें राज्य नष्ट हो गया था। इसी वक्त छत्तीसगढ़ का प्रथम कप्ताान इलिएट बना प्रशासनिक व्यवस्थता पूर्ववत रही। सन् 1857 के बाद क्षेत्र वायसराय के माध्यम से ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया।[13]

1854 तक छत्तीसगढ़ और नागपुर पृथक प्रशासनिक ईकाई थे। सन् 1861 में इन दोनों को मिलाकर प्रान्त बनाया गया, जिसे मध्य प्रान्त कहा गया। यहां का प्रशासन चीफ कमीशनर के नियंत्रण में रखा गया।[14] इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में जमींदारीयों को देशी रियासत बनने की प्रक्रिया प्रारंभ की। सन् 1863 में मध्य प्रांत के चीफ कमिशनर रिचर्ड टेम्पल ने क्षेत्रिय अधिकारियों के प्रतिवेदनों को नागपुर के राजा के राज्य क्षेत्र पर रिचर्ड जेनकिन्सन द्वारा सन् 1827 में लिखे प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन दिया।[15] तब सन् 1865 में रायगढ़ रियासत (जोकि अब तक जमींदारी या करद राज्य के रूप में ही मान्य थी) अस्तित्व में आई। इसी दौरान छत्तीसगढ़ में रायगढ़ सहित 14 रियासतें बनीं और एक रियासत "मकराई" होशंगाबाद में बनी।[16]

सन् 1837 से सन् 1860 तक की अवधि में प्रमुख सहायक दक्षिण–पूर्व सीमांत ऐजेन्सी द्वारा और सन् 1861 तक अधीक्षक ट्रिब्यूटरी महाल कटक के प्रशासनिक नियंत्रण में छत्तीसगढ़ रियासतें थीं। सन् 1862 से यह रियासत अन्य छत्तीसगढ़ की रियासतों की तरह कमिश्नर रायपुर के आधीन हो गई।[17] पर प्रशासनिक अव्यवस्था के लंबित रहने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। 1887 में इस हेतु "पोलिटिकल ऐजेन्ट" नामक अधिकारी का पद स्थापित किया गया। यह व्यवस्था 1920 तक चली।[18] राजा घनश्याम सिंह के शासन काल में उपरोक्त व्यवस्था बनी रही। तत्पश्चात् रायगढ़ के राजा घनश्याम सिंह को जे एस मोरिस ऑफिशिएटिंग चीफ कमिश्नर नागपुर द्वारा 4 सितंबर 1867 को पुनः एक सनद प्रदान की गई। जिसमें उन्हे सामंत का दर्जा दिये जाने तथा प्रदत्त अधिकारों की निरंतरता बनी रहने के लिए निम्नानुसार शर्तो का उल्लेख था । – तुम प्रारंभ में गढ़जात राज्यों के एक करद शासक थे। गर्वनर जनरल सपरिषद सहर्ष तुम्हे सामंत शासक की मान्यता प्रदान करते हुए तुम्हारे राज्य की सीमाओं में फौजदारी, दीवानी अथवा राजस्व संबंधी विषयों में पूर्ण अधिकार निम्नानुसार प्रतिबंधो के साथ प्रदान करते हैं, कि किसी अभियोगी को मृत्युदंड के किसी दण्डादेश के निष्पादन के पूर्व तुम्हें कमिश्नर छत्तीसगढ़ संभाग का ब्रिटिश सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी भी अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि आवश्यक रूप से करानी होगी। सामंत शासक के रूप में तुम्हारी मान्यता निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने पर रहेगी तथा इनमें से किसी का भी

उल्लंघन होने अथवा पूर्ति करने में असफल होने पर तुम्हारे सामंत शासक के रूप में दिये गए अधिकार समाप्त हो जा सकेंगे।

1. कि तुम 20 वर्षो के लिए निर्धारित टकोली 400 रूपये वार्षिक, वर्तमान वर्ष 1867 से 1887 तक नियमित रूप से अदा करते रहोगे तथा निर्धारित टकोली का पुनरीक्षण निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अथवा जब कभी भी सरकार उचित समझे किया जा सकेगा।

2. ब्रिटिश या अन्य रियासती क्षेत्र के अभियोगियों के तुम्हारे रियासती क्षेत्र में छिपने की स्थिति में तुम्हें पकड़कर ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपना होगा, तथा अभियोगी की गिरफ्तारी के लिए आए हुए अधिकारियों को यथा शक्ति सहयोग पहुंचाना होगा एवं तुम्हारे राज्य के अभियोगियों द्वारा ब्रिटिश क्षेत्र अथवा दूसरे रियासती क्षेत्रों में शरण लेने की घटना की सूचना हेतु तुम उपर्युक्त अधिकारी को आवेदन करोगे।

3. तुम अपने राज्य में प्रत्येक प्रकार के अपराधों को समाप्त करने के लिए उच्चतम प्रयास करोगे।

4- तुम सभी लोगों को निष्पक्ष न्याय प्रदान करोगे।

5- तुम अपनी प्रजा के अधिकारों को मान्यता प्रदान करोगे, उनकी रक्षा करोगे तथा किसी भी परिस्थिति में उन पर अत्याचार नहीं करोगे।

6- तुम अपनी रियासत से गुजरने वाले अनाज या अन्य व्यापारिक वस्तुओं पर किसी प्रकार का कर नहीं वसूल कर सकोगे।

7- तुम कमिश्नर, छत्तीसगढ़, डिप्टी कमिश्नर संबलपुर तथा चीफ कमिश्नर द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के परामर्श या निर्देशों का पालन करोगे।

8- तुम संबलपुर के सदर मुख्यालय में एक अनुमोदित वकील की नियुक्ति करोगे, ताकि तुम्हारी रियासत से संबंधित सभी आदेश उसके माध्यम से तुम्हें भेजे जायेंगे।

9- तुम अपने आबकारी राजस्व की इस ढंग से व्यवस्था करोगे कि वह समीपवर्ती ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए आपत्तिजनक नहीं होगी और यदि तुम्हारी आबकारी व्यवस्था आपत्तिजनक होगी तो चीफ कमिश्नर को तुम्हारे कर (टकोली) में 500. रूपये वार्षिक का वृद्धि तक करने का अधिकार होगा। जब तक तुम्हारी आबकारी व्यवस्था पुनः संतोषप्रद नहीं हो जाती।

इन शर्तो के अधीन रियासत की प्रशासनिक व्यवस्थता का पुनर्गठन किया तथा अधिकारों का भी पुनर्निधारण हुआ। इस सनद की धारा सात के अनुसार शासक को रियासत के नियंत्रण और निर्देशन में अंग्रेज अधिकारी के परामर्श से कानून और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार मिला। अतः अब यह रियासत चीफ कमिशनर मध्य प्रान्त के सीधे नियंत्रण में आ गई। पर सैद्धांतिक दृष्टि से इसका प्रशासन शासक के नाम से होता था। 1890 में घनश्याम सिंह की मृत्यु हो गई। 1887 की

व्यवस्थता 1920 तक चलती रही 1920 में पोलिटिकल एजेण्ट सी.पी. फ्यूडेटरी स्टेट्स किया गया।[19] पोलिटिकल एजेण्ट रायपुर को मध्य प्रान्त की सभी रियासतों के लिए जस्टिस ऑफ चीफ नियुक्त किया गया। रायगढ़ के फौजदारी मामलों के लिए तथा कमिश्नर, असिस्टेंण्ट कमिश्नर बिलासपुर भी उसके आधीन थे। 1920 में पोलिटिकल ऐजेण्ट सीधे चीफ कमिश्नर नागपुर से संबंद्ध किया गया। नटवर सिंह के शासन काल में प्रशासनिक अव्यवस्थता होने के कारण अग्रेजों ने उसे अपने आधीन कर लिया । इस व्यवस्थता को कोर्ट ऑफ वार्ड्स कहा जाता था।

3.2.2 राजा चक्रधर सिंह के समय.

लोथियन के 1932 के प्रस्तावों के अनुसार 1933 में रायगढ़ सहित छत्तीसगढ़ की रियासतें बिहार, उड़ीसा के साथ इस्टर्न स्टेट्स एजेन्सी से संबंधित कर दी गई और सीधे केन्द्र सरकार से संबधित हुई।[20] अतः ई.सी.गिब्सन गर्वनर जनरल के ऐजेण्ट के पद पर नियुक्ति हुआ। 1935 में पुनः पुनर्गठन के बाद रेसिडेण्ट को इस क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया। जिसकी सहायता के लिए हर रियासत में एक पोलिटिकल एजेण्ट नियुक्त किए गया।[21] 26 जनवरी 1937 को राजा चक्रधर सिंह को 5000 रूपये वार्षिक टकोली के साथ नई सनद् प्रदान की गई। उसने ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहने का वचन दिया।[22] अतः समस्त शासनाधिकार व संप्रभुता ब्रिटिश ताज के पास रही। अन्य रियासत से

विवाद होने पर निपटारा भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष होता था। 1921 में जहाँ राजा को रूलिंग चीफ का दर्जा मिला था, 1933 में चक्रधर सिंह को रूलर का दर्जा मिला, व ब्रिटिश नियंत्रण कम हुआ। एक केन्द्रीय संस्था जिसे दरबार कहा जाता था के जरिए प्रशासन चलता था। इसमें राजा के अतिरिक्त दीवान, सहायक दीवान तथा विभिन्न शासन परिषदें थी।[23]

राजा.

यह रियासत का प्रधान एवं प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। यह रियासत में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार था। साथ ही ब्रिटिश सत्ता के प्रति उत्तदायी था। क्योंकि अव्यवस्थता की स्थिति में प्रशासन कोर्ट आफ वार्ड्स अथवा ब्रिटिश प्रबंध के अर्न्तगत ले लिया जाता था, जैसे नटवर सिंह के शासन काल में हुआ था। राजा चक्रधर सिंह एक योग्य, कुशल एवं लोकप्रिय राजा थे। उन्होनें 1924 से 1947 तक राज्य किया। ब्रिटिश सेवा में कार्यरत तहसीलदार परमानंद चौबे उनके ट्यूटर थे।[24] राज्य प्रशासन संबधी कार्य सीखने के लिए उसने कुछ समय छिन्दवाड़ा में ऑनरेरी एक्स्ट्रा असिस्टेण्ट कमिश्नर के रूप में कार्य किया था।[25] फरवरी 1927 में पब्लिक दरबार आयोजित हुआ जिसमें रूलिंग चीफ का अधिकार हिज एक्सेलेन्सी गर्वनर द्वारा दिया गया।[26] 1937 में सनद प्राप्त हुई। मगर आर्थिक अव्यवस्था के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1937 में वित्तीय शक्तियां प्रतिबंधित कर दी गई।

दीवान.

राजा के पश्चात् दीवान ही रियासत में प्रशासन का सर्वेसर्वा होता था। उसकी योग्यता पर प्रशासकीय सफलता निर्भर करती थी। उसका प्रशासकीय अनुभव, योग्यता तथा ज्ञान न केवल रियासत के विकास में सहायक होता था, अपितु रियासत की गरिमा भी बढ़ती थी। दीवान राज्य के संपूर्ण विभागों को नियंत्रण एवं निर्देशित करता था। रियासत के सभी विभागों के प्रमुख उसके मातहत होते थे। इसके अधीन अनेक विभाग थे जैसे– राजस्व, न्याय, शिक्षा, लोकनिर्माण, चिकित्सा, पुलिस आदि। इनकी नियुक्ति प्रायः ब्रिटिश भारत के निवृत एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर अथवा तहसीलदारों में से की जाती थी। किंतु रायगढ़ रियासत में इन पदों पर ऐसे व्यक्तियों की भी नियुक्ति की गई जो शासकीय सेवा में नहीं थे। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत दीवान 1944 तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्य देखता था। वह प्रशासनिक सूचनाओं से राजा को अवगत कराते हुये विभिन्न समस्याओं के संबंध में राजा को परामर्श दिया करता था। भूपदेव सिंह के शासनकाल में कृपाराम मिश्र अपनी प्रशासनिक योग्यता के कारण लोकप्रिय हुए, जबकि राजा चक्रधर सिंह के शासनकाल में डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र 1939 से 1940 तक दीवान रहे, इसके पूर्व बलदेव प्रसाद रियासत में नायब दीवान रह चुके थे। इन्होनें जनकल्याण के अनेकों कार्य किए व रियासत में प्रशासनिक कुशलता के साथ जनता के कल्याण पर समुचित ध्यान दिया। बलदेव प्रसाद ने प्रसिद्ध गणेश उत्सव को साहित्यिक एवं सांस्कृतिक रंग दिया, यह इन्हीं का प्रयास था कि इस महोत्सव में भारत

के महान साहित्यकार एवं संगीतज्ञ रायगढ़ दरबार में आये। इनके बाद रायबहादुर एम.जी. घुई, राघोराज, जे.एन. महंत दीवान रहे। यह स्पष्ट है कि राजा के बाद दीवान ही रियासत में प्रशासन का सर्वे सर्वा होता था। दीवान राज्य के संपूर्ण विभागों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता था। रियासत के सभी विभागों के प्रमुख उससे संबंध बनाकर काम करते थे। रायगढ़ रियासत के दीवान को 1932 में 500–50–700 और 1945 में 600–50–700–50–800 का वेतनमान प्राप्त होता था।[27]

नायब दीवान.

रियासत में दीवानों की सहायता के लिये एक–एक नायब दीवान की नियुक्ति की गई।

तहसीलदार.

परगनों के तहसीलों में तहसीलदार होते थे। इन्हे प्रथम श्रेणी दंडाधिकाारी के अधिकार थे। इनका भी अलग अपना एक न्यायालय होता था। राजा चक्रधर सिंह के समय मुकुटधर पाण्डेय तहसीलदार थे।

नायब तहसीलदार.

तहसीलदार के अंतर्गत नायब तहसीलदार होते थे। ये द्वितीय श्रेणी के दण्डाधिकारी होते थे।रायगढ़ रियासत के प्रशासन के संचालन में दरबार के अतिरिक्त राज कर्मचारी अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होते थे। दरबार तो केवल नीतियों का निर्धारण तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे, उन्हे क्रियान्वित करने के लिए राज कर्मचारी के रूप में एक बड़ा अमला

आवश्यक था। एक प्रकार से राज कर्मचारी ब्रिटिश क्षेत्रों की नौकरशाही के पर्याय थे जिनका विभाजन अनेक स्तरों पर किया जाता था तथा वे अनेक प्रकार के कर्तव्य संपादित करते थे। वैसे तो इन रियासतों में प्रशासन के विकास के साथ राज कर्मचारियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही थी तथा अनेक राजकर्मचारी ब्रिटिश क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों के समकक्ष होते थे तथापि रियासती प्रशासन के कार्यो के संपादन हेतु नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने उनके स्तर को ऊंचा उठाने तथा उन्हें संरक्षण और सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से रायगढ़ रियासत के राजा चक्रधर सिंह ने 1932 में रायगढ़ स्टेट सर्विस रेग्युलेशन्स पारित किया।[28]

जिसके अनुसार राज्य कर्मचारियों को तीन प्रमुख वर्गो में बांटा –

अधिकारी, कर्मचारी और भृत्य । इन वर्गो के भी कई उपवर्ग बनें तथा उसके अनुसार वेतनमान तय किया गया।[29]

अधिकारी वर्ग में थे –

1.प्रथम श्रेणी के अधिकारी जैसे – दीवान एवं न्याय सचिव थे व इनका वेतन राजा द्वारा निर्धारित था। विशेष अधिकारी में द्वितीय श्रेणी में सहायक दीवान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे इनका वेतन 150–10–300 था।

2.विभागाध्यक्ष के अंतर्गत वरिष्ठ वर्ग में हाईस्कूल के प्रधान अध्यापक, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, वन रक्षक, उद्योग व

विपणन अधिकारी थे। जिनका वेतनमान 70– 5– 150 था। कनिष्ठ वर्ग का वेतनमान 60 – 5– 100 था। इसमें नायब तहसीलदाार, आयकर अधिकारी, सब असिस्टेण्ट सर्जन, सर्किल इंस्पेक्टर और महल अधीक्षक थे।

3.अधीनस्थ कर्मचारी में कनिष्ठ वर्ग का वेतनमान 25 – 2 – 40 था और इसमें आबकारी उपनिरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, सहायक जेलर थे। वरिष्ठ वर्ग में जेलर, मिडिल स्कूल के शिक्षक,. राजा का रीडर आबकारी अधिकारी, स्टेनोग्राफर थे व वेतनमान 40 – 2– 60 था।

कर्मचारी वर्ग में विशेष कर्मचारी वर्ग का वेतनमान 30–1–40 वरिष्ठ कर्मचारी का 20–1–30, कनिष्ठ का 15–1–20 था। भृत्य श्रेणी में चौकीदार का वेतनमान 9/1/5–12 था, अर्दली का वेतनमान 8/1/5–8, स्वीपर व विशेष भृत्य का वेतनमान 6/1–5–8 था। लिपकीय वर्ग में वरिष्ठ श्रेणी में मोहर्रिर तथा ग्रामीण स्कूलों के शिक्षक थे, कनिष्ठ वर्ग में हेड कान्सटेबल , मोटर ड्राइव्हर एवं कम्पाउन्डर थे।

इस तरह वर्गीकृत होने से प्रशासनिक सुव्यवस्था बनी रही उपरोक्त वेतनमान में 6/1/5–8 क्रमशःरूपये , आने, पाई होते थे। अधिकारियों के लिए वेतन, भत्ते, अवकाश , दण्ड, स्थानांतरण, पदोन्नति और पेंशन का प्रावधान था, साथ ही बोनस एवं भविष्य निधि का भी लाभ मिलता था।[30] 1939 में राजा चक्रधर सिंह ने "शासन परिषद" नामक संस्था का गठन किया जो रियासत के संपूर्ण प्रशासन तथा शासन तंत्र के संचालन

के लिए उत्तरदायी थी।[31] इसमें राजा साहब के अतिरिक्त दो अन्य सदस्य क्रमशः रियासत के दीवान बलदेव प्रसाद मिश्र (अर्थ सचिव के रूप में) तथा राजा के निजी सचिव लक्ष्मण प्रसाद मिश्र (गृह सचिव के रूप में) । राजा की अनुपस्थिति में दीवान इसकी अध्यक्षता करता था। राजा का सचिव परिषद का पदेन सचिव था. प्रशासनिक नियंत्रण एवं संचालन हेतु राज्य के समस्त 12 विभागों में से क्रमशः राजनीतिक, वित्त, शिक्षा, कानून एवं न्याय, वन तथा लोक निर्माण दीवान के अधीन था। और गृह, उद्योग एवं वाणिज्य आबकारी तथा लोक स्वास्थ्य सचिव के सीधे प्रभार में थे।

फरवरी 1945 में तत्कालीन पोलिटिकल एजेंट डी एच बिस्कोई द्वारा परिषद के स्थान पर " राज्य परिषद" का गठन किया गया।[32] इस पर ब्रिटिश नियंत्रण रखा गया था । अतः वित्तीय कार्य सहायक पोलिटिकल एजेंट राय साहब ए के मित्रा के पास था। अन्य दो सदस्य– रियासत के दीवान जे एन महंत (विकास सदस्य) ,सहायक दीवान – बी एन घोषाल (सामान्य सदस्य) थे।

रियासती जनता को उत्तरदायी शासन प्रदान करने और प्रशासन में लोक सहभागिता को महत्व देते हुए चक्रधरसिंह ने जून 1947 में "कार्यकारिणी परिषद" नामक संस्था का गठन किया। इसमें दीवान, सहायक दीवान, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से राजस्व एवं सामान्य सदस्य के रूप में एक–एक प्रजा प्रतिनिधि और राजा स्वयं थे।[33] यह प्रतिनिधित्व

त्रुटिपूर्ण था क्योंकि 808 गांवो की जनता तथा दो नगरों की जनता को समाान प्रतिनिधित्व दिया गया था।

प्रशासन में जनता को भागीदारी प्रदान करने के उद्येश्य से विधान निर्मात्री संस्था के रूप में वर्ष 1939 में "प्रज्ञा परिषद" नामक संस्था गठित की गई इसमें ग्रामीण क्षेत्र के 11 शहरी क्षेत्र के 9 (कुल 20) सदस्य थे। इनका चुनाव रियासत की जिला परिषद तथा नगरपालिकाओं द्वारा किया जाता था।[34] जिला परिषदों को अपने–अपने परगनों में से एक गोंटिया तथा नगर पालिकाओं को एक व्यापारी सदस्य निर्वाचित करना आवश्यक था। परिषद का एक निर्वाचित नेता होता था, पं. शिवप्रसाद नायक इस पद पर चुने गये थे।[35] किंतु परिषद की अध्यक्षता दीवान की करता था। निर्णय बहुमत आधार पर लिए जाते थे। दरबार की स्वीकृति मिलने पर ही यह मान्य होते थे। इस परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष रखा गया था तथापि यह साढ़े छः वर्षो तक कार्य करती रही।

इसी तरह 1946 में "विधान सभा" का गठन किया गया, इसमें राजा के अतिरिक्त 16 निर्वाचित और 8 नाम निर्देशित सदस्य थे। इसका कार्यकाल 3 वर्षो का रखा गया था तथा प्रतिवर्ष इसके दो अधिवेश जरूरी थे। सदस्यों के निर्वाचन के लिए संपूर्ण रियासत को 7 क्षेत्रों में बांटा गया था। जिसमें से 16 सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा निर्चाचित होते थे। इस सभा का अध्यक्ष दीवान था जो विधान सभा व शासक के बीच की कड़ी था। मगर 6 महीने बाद ही रियासत के भारत संघ में विलीन होने से यह स्वतः ही समाप्त हो गई।

3.3 स्थानीय प्रशासन.

3.3.1 चक्रधर सिंह से पूर्व की व्यवस्था.

प्रारंभ से ही भारत में स्थानीय प्रशासन का अस्तित्व रहा है। ग्रामों में पंचायते थी जो स्वशासी सशक्त संस्थायें थीं। 1870 में लार्ड मेयो के संकल्प में स्थानीय निकायों को स्वशासन की प्रशिक्षण एजेंसियों के रूप में विकसित करने के सिद्धांत पर जोर दिया । तदानुसार मध्य प्रांत में सर्वप्रथम नगरपालिका अधिनियम (क्र. 2 सन् 1873), 1873 में पारित किया गया। जिसके अंतर्गत नगरपालिकाओं का पुर्नगठन तथा जिला परिषदें और स्थानीय मण्डल गठित किए गए।[36] तत्पश्चात सन् 1883 में ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए कदम उठाये गये और नगरपालिका अधिनियम 1889 पारित किया गया। रायगढ़ में राजा भूपदेव सिंह के द्वारा सन् 1901 में रायगढ़ नगरपालिका के स्थापना के साथ ही नगरपालिका प्रशासन का प्रारंभ हुआ। आरंभ में इस पर रियासत का सीधा नियंत्रण था। दीवान समिति का अध्यक्ष था और रियासत के पांच अधिकारी निर्दिष्ट पदेन सदस्य थे।

3.3.2 राजा चक्रधर सिंह के समय.

सन् 1931 में राजा चक्रधर सिंह ने इसके संविधान में संशोधन किया जिससे सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाने लगा जिनकी संख्या 20 थी।[37] मार्च 1933 में दरबार ने सदस्यों में अशासकीय अध्यक्ष चुनने की अनुमति दे दी। अतः अब अध्यक्ष बाहर से चुना जाने लगा ।

1946 में समीपवर्ती गांवो को मिलाकर नगरपालिका समिति क्षेत्र में वृद्धि के साथ वार्डो की संख्या 15 कर दी गई। रियासतों के विलीनीकरण के पूर्व तक अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए कोई स्थान आरक्षित नही थे।[38]

शुरू में नगरपालिका की आय के मुख्य स्त्रोत चुंगीकर, फड़ तथा बाजार कर थे।[39] सबसे अधिक रकम पुलिस पर और बची रकम ही जल, निकास, स्वच्छता, शिक्षा आदि पर व्यय की जाती थी। रायगढ नगर में सन् 1915 में एक जलपूर्ति गृह का निर्माण किया गया तथा आरंभ में जलआपूर्ति केवल महल और रियासत के पदाधिकारियों के लिए की जाती थी। बाद में वर्ष 1922 में जनता के अनुरोध पर एक और जलपूर्ति गृह का निर्माण किया गया जिसकी जल आपूर्ति क्षमता 75000 गैलन थी। पर्याप्त जलआपूर्ति के लिए सन् 1930 में 175000 रूपये लागत से एक आधुनिक जलपूर्ति गृह का निर्माण किया गया तथा नगर में जल आपूर्ति की जाने लगी।[40] सन् 1945–46 में इस जलपूर्ति गृह से नगर के 402 उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिया गया।[41] विद्युत व्यवस्था हेतु रायगढ़ नगरपालिका ने एक इलेक्ट्रानिक प्लाट स्थापित किया था जो सन् 1943–44 तक अच्छी स्थिति में कार्यरत रहा। नगर में 244 बिजली के खंभे थे जिसमें से 73 में प्रकाश की व्यवस्था की गई थी तथा 212 उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान की जाती थी । किंतु नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा तेजी से विकसित होने वाले उद्योगों की आवश्यकतानुसार पर्याप्त विद्युत प्रदाय न कर सकने के कारण सन्

1945–46 में विद्युत व्यवस्था किसी ठेकेदार को दिये जाने का निर्णय किया गया था।[42] रायगढ़ नगरपालिका एक पुस्तकालय एक कन्या शाला एक ए.व्ही.एम.स्कूल तथा टाउन हॉल की व्यवस्था भी करती थी। वर्ष 1945–46 में नगरपालिका समिति में क्रमशः 15 निर्वाचित, 5 चयनित, 3 नाम निर्देशित सदस्य तथा एक उपाध्यक्ष अर्थात कुल 22 अशासकीय सदस्य थे।[43]

रियासत के खरसियाँ क्षेत्र में चक्रधर सिंह ने 1928 में नगरपालिका स्थापित करवाया ।[44] प्रारंभ में दीवान ही पदेन अध्यक्ष था एवं उपाध्यक्ष, व अन्य सदस्य का नाम अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट होता था।[45] सन्1937 में इसके संविधान में परिवर्तन किया गया जिसके अनुसार 7 निर्वाचित, 1 चयनित तथा 4 नाम निर्दिष्ट सदस्यों की व्यवस्था की गई। नगरपालिका के नियंत्रण में एक टाउन हाल , एक प्राथमिक शाला, एक पुस्तकालय, रीडिंग कमरा तथा मनोरंजन गृह था। नगर में जल प्रदाय करने की समुचित व्यवस्था की गई थी।[46] इन नगरपालिकाओं के अतिरिक्त रायगढ़ रियासत के लैलूंगा नगर में जनवरी 1945 में स्वच्छता समिति स्थापित की गई थी, जिसमें 5 निर्वाचित तथा 2 नाम निर्दिष्ट सदस्य थे, तहसीलदार घरघोडा इसके पदेन सदस्य थे। घरघोड़ा नगर में सन् 1929 में स्थापित स्वच्छता समिति को अप्रैल 1946 में अधिसूचित क्षेत्र समिति में परिवर्तित कर दिया गया था।[47] जिसमें 6 निर्वाचित तथा 3 नाम निर्दिष्ट

सदस्य थे। तहसीलदार घरघोड़ा तथा सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस समिति के क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव होते थे।

1905 में रियासत में एक जिला परिषद और तीनों परगनों में एक–एक स्थानीय मण्डल थे और 1939 में चक्रधर सिंह ने इसे पुर्नगठित करवाया । तीन प्रकार के निकायों अर्थात ग्राम पंचायत, स्थानीय मण्डल तथा जिला परिषद का गठन किया गया।[48] जिला परिषद में कुल 20 सदस्य थे जिसमें 5 स्थानीय मण्डल से व 5 नाम निर्दिष्ट होते थे। स्थानीय मण्डलों को अपने क्षेत्र में जिला परिषद के समान ही शक्तियां प्राप्त थीं। पर 2500 रूपये से अधिक के निर्माण कार्य होने पर इन्हें जिला परिषदों से मंजूरी अपेक्षित थी। वित्तीय साधन के रूप में जिला परिषदों को कतिपय उपकर तथा स्थानीय कर लगाने का अधिकार था जो मुख्यतः पशु बाजार, नाका, पुल से प्राप्त होता था । 1939 में "स्थानीय निकास सहायक अनुदान अधिनियम 32" में स्थानीय निकायों को लगभग उतनी ही रकम का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था थी, जितनी ये जुर्माने, फीस के रूप में वसूल करते थे और प्रांतीय राजस्व में जमा करते थे।

ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतें थी। 1939 में चक्रधर सिंह ने इन्हे पुर्नगठित करवाया और तब रियासत के 808 गाँवों में 800 ग्राम पंचायतों का गठन किया। 1945 में सरपंच इसका सभापति बनाया गया। जिसका चुनाव पंचायत के सदस्य बहुमत से करते थे। पंचायत की बैठकें महीने में एक बार होती थीं। निर्णय बहुमत से होता था। यह पंचायतें मुख्य रूप से कृषि सुधार तथा ग्रामोत्थान विषयक कार्य यथा– सफाई, ग्रामोद्योग

देखती थी। गांवों के विवादों से निपटने इन्हें दीवानी प्रकरणों में 50 रूपये पर निर्णय व फौजदारी प्रकरणों में 10 रूपये राशि का जुर्माना का अधिकार था।

अतः जिला मण्डलों, पंचायतों नगरपालिकाओं के माध्यम से स्थानीय प्रशासन यहां स्थापित था।

3.4 पुलिस बल.

3.4.1 चक्रधर सिंह से पूर्व की व्यवस्था.

किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था का मूल आधार कानून, व्यवस्था और न्याय होता है। अंग्रेजो के निर्णय में आने के पूर्व रायगढ़ रियासत में कानून और व्यवस्था की कोई मान्य पद्धति प्रचलित नहीं थी। गांवों में यह कार्य गोटिया करता था। ग्रामीण पुलिस के रूप में एक चौकीदार या कोटवार होता था। बड़े गांव में कोटवार के कार्यो में सहायता करने के लिए जो व्यक्ति होता था उसे झांखर कहते थे।[49] 1867 में जब इस रियासत के शासकों को सामंत शासक की मान्यता प्रदान करते हुए सनद दी गई, उसकी प्रसंविदाओं के अंतर्गत यहां कानून व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। इन सनदों की धारा 2 एवं 3 में शासकों को निर्देशित किया गया था, कि वे अपने क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम हेतु कार्य करेंगे।

1861 पुलिस एक्ट के अनुसार यहां पुलिस बल का संगठन एवं व्यवस्था की गई।[50] इसके बाद यहां पुलिस व्यवस्था में निरंतर सुधार आता रहा।

1905 में कुल पुलिस बल 108 और पुलिस विभाग पर कुल 9460 रूपये व्यय हो रहा था। यहां भी मध्य प्रांत में प्रचलित कास्टेबुलरी व्यवस्था का विकास हुआ। जिसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, वृत्त निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, आरक्षक, रक्षित आरक्षक, न्यायालय निरीक्षक एवं कवायद निरीक्षक आदि के पद निर्मित किए गए। पुलिस बल के लिए कई सुविधांए भी लागू की गई। जिससे पुलिस प्रशासन की कार्य कुशलता बढती रही।

1905 में रायगढ़ पुलिस बल में निरीक्षक, तीन उप निरीक्षक तथा 104 सिपाही थे प्रत्येक परगने में स्थित थाने का प्रभाारी उप निरीक्षकों को बनाया गया था। रियासत में विद्यमान पुलिस बल का जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से अनुपात क्रमशः 1561: 1 और 13 वर्गमीलः1 था।[51]

3.4.2 राजा चक्रधर सिंह के समय

चक्रधर सिंह के समय भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद और कार्य कुशल था। जिससे सामान्य प्रशाासन कुशलता से सुचारू ढंग से चल रहा था। 1924 में पुलिस कर्मियों के वेतन का पुनर्निधारण किया गया, रिजर्व पुलिस लाईन तथा लैलूंगा में पुलिस लाईन का निर्माण हुआ।[52] 1925 में रिजर्व पुलिस को सशस्त्र किया गया। 1928 में पुसौर थाना बना जहां दो प्रधान आरक्षक नियुक्त किये गये।[53] 1935 में रियासत के पुलिस बल में 107 सिविल, 27 रिजर्व तथा 2 घुड़सवार सिपाही थे। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से पुलिस बल का अनुपात क्रमशः 2040 व्यक्तियों तथा

10.92 वर्गमील पर एक सिपाही था। पुलिस बल के पास उपलब्ध आग्नेय अस्त्रों में 4 बारह बोर भी आ चुकी थी।[54] 1935 में मध्य प्रान्त की शासकीय सेवा में कार्यरत वृत्त निरीक्षक सैय्यद अहमद खान ने प्रतिनियुक्ति पर रियासत के पुलिस अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया। उन्हे कर्मचारियों के पदोन्नति आदि के भी अधिकार थे। उन्हे सिल्वर जुबली डे पर मेडल मिलता था। 1945–46 में रियासत के पुलिस बल में 156 व्यक्ति थे, प्रत्येक 2043 व्यक्तियों एवं प्रति 9.7 वर्गमील पर एक सिपाही था और पुलिस विभाग पर खर्च 92542 रूपये हो रहा था जो 1924 में (जब राजा चक्रधर सिंह ने शासन संभाला था) 31885 रूपये था और तब पुलिस बल में 123 व्यक्ति थे।[55]

राजा चक्रधर सिंह के समय पुलिस द्वारा अन्वेषित प्रकरणों की संख्या तथा दंडित किये गए अपराधों की संख्या के आधार पर पुलिस के कार्यो का विश्लेषण संलग्न सारिणियों से किया जा सकता है –

वर्ष	मामलों की संख्या		उन व्यक्तियों की संख्या जिनकी न्यायिक जांच की गई	दोष मुक्त या रिहा किये गए व्यक्ति	दोष सिद्ध ठहराये गए व्यक्ति
	सूचित	अन्वेषित			
1924	286	197	–	049	145
1925	276	188	180	–	117
1927	454	–	273	105	149

1928	461	374	274	089	153
1930	342	271	274	065	129
1934	597	388	333	041	225
1935	653	346	273	076	164
1936	597	350	272	058	137
1938	666	—	263	058	139
1940	785	—	346	061	181
1942–43	821	—	—	—	—
1943–44	897	—	—	—	—
1944–45	830	—	469	103	236
1945–46	863	—	588	097	273

स्त्रोत – संबंधित वर्षो के सामंती रियासतों के प्रशासनिक प्रतिवेदन।

3.5 जेल व्यवस्था.

3.5.1 चक्रधर सिंह से पूर्व की व्यवस्था.

अंग्रेजी शासन के पूर्व कैदियों को किस प्रकार रखा जाता था इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता हैं किंतु ब्रिटिश शासन के आने के बाद बल के पुनर्गठन के साथ–साथ जेलखानों की व्यवस्था रायगढ़ रियासत में की जाने लगी। न्यायालयों में दंडित किये गए अपराधियों तथा विचाराधीन प्रकरणों में संलग्न अभियोगियों के रहने की व्यवस्था

रियासतों में ही की जाने लगी। ब्रिटिश शासन के अधीन आने के बाद ही व्यवस्थित जेल प्रशासन की व्यवस्था हुई, 1909–10 से रियासत में जेल और जेल विभाग था तब जेल में 6 महिलाओं सहित 126 कैदियों के रहने की व्यवस्था थी। तब रियासत द्वारा इस विभाग पर 5346 रूपये व्यय हो रहे थे।[56]

3.5.2 चक्रधर सिंह का युग.

रायगढ़ रियासत के राजा चक्रधर सिंह ने इन कैदियों के लिए दरी बनाने, चांवल साफ करने, कुर्सियों की बुनाई एवं बागवानी आदि कार्य की समुचित व्यवस्था करवाई । इससे रियासत को आय भी हुई। 1924 में जेल कर्मियों के वेतन का पुनर्निधारण हुआ।[57] 1935 में एक सहायक जेलर को 6 माह के प्रशिक्षण हेतु जबलपुर भेजा गया तब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एन.जी. राय जेल अधीक्षक बनाए गए। 1945 में जेल में 114 कैदी थे और 6,538 रूपये व्यय हो रहे थे। इसी वर्ष यह जेल केंद्रीय जेल के रूप में परिवर्तित हो गया।

रायगढ़ रियासत की जेलों में 1920 से 1945–46 तक कैदियों की संपूर्ण संख्या, प्रविष्ट कैदी, छोडे गए कैदी तथा जेल विभाग पर किए गए व्यय और जेल उद्योग से प्राप्त आय का विवरण प्रत्येक 5 वर्षो में निम्न तालिका से दर्शाया गया है–

वर्ष	पूर्व संख्या	छोड़े गए कैदी	प्रविष्ट कैदी	व्यय(रू.में)	आय (रू.में)
1920	55	073	060	9843	4947

1925	56	055	051	9917	6027
1930	38	057	067	7864	2744
1935	76	161	141	6538	2273
1938–40	69	113	099	–	–

स्त्रोत– संबंधित वर्षो के सामंती रियासतों के वार्षिक प्रतिवेदन

3.6 न्याय प्रशासन.

3.6.1 चक्रधर सिंह से पूर्व की व्यवस्था.

रायगढ़ रियासत में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित होने के पूर्व मराठों के समय न्यायिक कार्यों की जिम्मेदारी मुख्यतः स्थानीय सूबेदारों द्वारा निभाई जाती थी तथा छोटे–छोटे ग्रामीण प्रकरणों का फैसला स्थानीय पंच एवं गोटिया करते थे। सूबेदारों को मृत्युदंड देने का अधिकार प्राप्त था, किंतु इसकी सूचना उन्हें मराठा राजधानी को भेजनी पड़ती थी, जिन प्रमाणों के आधार पर निर्णय दिया जाता था।[58] इस समय की न्यायिक व्यवस्था में जातीय संकीर्णता भी थी। उच्च जाति द्वारा किये अपराधो की सजा बहुत कम होती थी। ब्राम्हण, बैरागी, गोसाई या उच्च जाति के किसी व्यक्ति द्वारा निम्न जाति के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती थी तो उससे केवल जुर्माना ही लिया जाता था, किंतु यदि निम्न जाति का कोई व्यक्ति किसी उच्च जाति के व्यक्ति का वध कर देता था तो उसे

अनिवार्यतः मृत्युदंड दिया जाता था।[59] ब्रिटिश नियंत्रण में आने के बाद 1827 में रायगढ़ रियासत के शासक से इकरारनामे के बाद दी गई सनद के अनुसार इन्हें न्यायिक तथा पुलिस प्रशासन की शक्तियां सौंपी गई।[60] यद्यपि न्याय प्रशासन पूर्ववत इन प्रसंविदाकारी रियासतों के शासकों तथा उनके सहायकों में निहित था। दीवानी तथा राजस्व मामले में उन्हें संपूर्ण शक्तियां प्राप्त थीं, फौजदारी मामले में इनकी शक्तियां सीमित कर दी गई थी। जिसके अनुसार वे किसी अपराधी को अधिकतम 7 वर्ष के कारावास की सजा दे सकते थे, कालांतर में इसमें 6 महीने और कम कर दिए गए।[61]

1867 की सनद के अनुसार जब रियासत पोलिटिकल एजेंट के माध्यम से छत्तीसगढ़ संभाग के आयुक्त के सामान्य नियंत्रण के अधीन रखी गई, तब रियासत में सिविल और दंडिक न्यायपालिका अनेक दृष्टियों से रचना में एक जैसी थी। तथापि उसका स्थापना भिन्न–भिन्न था।[62] न्यायिक शक्तियां रियासत के शासक, दीवान, तहसीलदार और नायब तहसीलदार में निहित थीं। शासक को सिविल और दाण्डिक मामलों में सत्र और उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हो गई थीं। तथापि मृत्युदंड देने के पूर्व कमिश्नर छत्तीसगढ़ संभाग रायपुर या ब्रिटिश शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि आवश्यक थी।[63] रियासत के राजा घनश्याम सिंह के शासनाधिकार 1885 में समाप्त किये जाने के कारण रियासत में न्यायिक, दाण्डिक शक्तियां ब्रिटिश सरकार

द्वारा नियुक्त प्रबंधक को सौंपी गई, यह व्यवस्था 1864 तक कायम रही। 1892 में राजा भूपदेव सिंह को द्वितीय श्रेणी एवं 1893 में प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की शक्तियां प्राप्त हुई।[64] 1894 में राजा को सामंत शासक के शासनाधिकार मिलने से वह स्वयं सत्र एवं उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता था, और दण्ड प्रक्रिया संहिता 30 के अधीन दीवान को उपायुक्त का दर्जा दिया गया था। निम्न न्यायालय मामलों में तहसीलदार 30 के अधीन दीवान को उपायुक्त का दर्जा दिया गया था । दीवान मामलों में तहसीलदार 300 रूपये तक के मूल वादों की सुनवाई करता था । निम्न न्यायालय नायब तहसीलदार का था (50–100 रूपये के मूल वाद) इसमें अवैतनिक न्यायाधीशों की एक पीठ भी थी जिसका गठन 1894 में हुआ था। जिसके अंतर्गत राजा के सगे चचेरे भाईयों को तृतीय श्रेणी के दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई थीं।[65] मृत्युदंड की पुष्टि चीफ कमिश्नर द्वारा होती थी।

1902 में नायब तहसीलदार को द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई। तृतीय श्रेणी के अधिकारों से युक्त एक पीठ की स्थापना की गई। 1903 में इसे समाप्त कर राजा के भाई गजराज सिंह को तृतीय श्रेणी दण्डाधिकारी बनाया गया। 1905 में फौजदारी मामले की सुनवाई हेतु राजा के न्यायालय के अतिरिक्त दो अधीनस्थ न्यायालय थे। दीवानी प्रकरणों हेतु मुख्य अपीलीय न्यायालय के अधीन तीन न्यायालय थे। 1907 में उनकी संख्या 5 थी। गजराज सिंह के रियासत के बाहर चले जाने से इसमें से एक कम हो गया। 1909 में दीवान को जिला

न्यायाधीश एवं जिला दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई। ए प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी की नियुक्ति हुई। अब फौजदारी एवं दीवा न्यायालयों की संख्या 6 एवं 5 हो गई। 1910 में नायब तहसीलदार क न्यायालय समाप्त हो गया। 1910 में ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.सी. राय को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 211 के अंतर्गत आने वाले मामलों के विचारार्थ प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी व युवराज नटवर सिंह को तृतीय श्रेणी दंडाधिकारी की शक्तियां मिली।[66] 1912 में गजराज सिंह पुनः द्वितीय श्रेणी दण्डाधिकारी और राजा के भतीजे मुंसिफ बने। 1915 में गजराज सिंह एवं लाल नारायण सिंह की मृत्यु से न्यायालयों की संख्या 8 से घटकर 6 हो गई। 1928 में सातवां न्यायालय खुला। 1910 में जहां दर्ज प्रकरण 300, अभियोजित व्यक्तियों की संख्या 753, दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या 323 और लंबित प्रकरण 0 थे। यह 1923 में क्रमशः 434, 627, 333, 216 और लंबित प्रकरण 47 थे। (सभी मामले न्यायिक प्रशासन फौजदारी रायगढ़ रियासत के हैं) इस तरह ब्रिटिश प्रशासन के अनुरूप न्यायिक व्यवस्था बनी रही।[67]

3.6.2 राजा चक्रधरसिंह के समय.

राजा चक्रधर सिंह ने अपने समय न्याय व्यवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं करते हुए पुराने समय से चली आ रही व्यवस्था को लागू रखा। रायगढ़ रियाससत में 1935 में 8 न्यायाधीश कार्यरत थे।[68] – दीवान बलदेव प्रसाद मिश्र जिला न्यायाधीश एवं जिला दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुंशी शाह मोहम्मद–दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, गेंदलाल–दंडाधिकारी

द्वितीय श्रेणी, मजिस्ट्रेट द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी तथा अवैतनिक न्यायाधीश लाल बलभद्र सिंह एवं लाल जुगल सिंह । 1935 में बेंच मजिस्ट्रेट के पद समाप्त हुए। 1938 में घरघोड़ा में नायब तहसीलदार को द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी तथा सब जज के अधिकार दिये गए। 1940 में रियासत में कोर्ट की एक्ट 1935, इंडियन एयर क्राफ्ट एक्ट, सोल्जर्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन एक्ट लागू किये गए। 1940 में ही अवैतनिक न्यायाधीशों तथा नायब तहसीलदार खरसियां दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी के पद समाप्त कर दिये।[69] 1943–44 में जी.आर. महोदवकर को उच्च न्यायालय के अधिकार मिले।[70] 1944 तक दीवान ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में ज्वांइंट सिविल एण्ड सेशंस जज का प्रभार ग्रहण किया। रियासत की तहसीलों क्रमशः रायगढ़ में एक तहसीलदार, एक नायब और एक अतिरिक्त नायब तहसीलदार था। तहसीलदार को प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी एवं नायब तहसीलदार को सब जज द्वितीय श्रेणी के अधिकार थे।

3 जुलाई 1945 को रायगढ़ में छत्तीसगढ़ व उड़ीसा की रियासतों के लिये कॉमन हाईकोर्ट बना। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश दो न्यायाधीश थे। तब रायगढ़ तहसील में पूर्ववत 8 न्यायालय थे।[71] दीवान का न्यायालय राजस्व मामले हेतु सहायक दीवान के पास जिला दण्डाधिकारी की शक्तियां व राजस्व मामले हेतु सहायक दीवान के पास जिला दण्डाधिकारी की शक्तियां व राजस्व मामलों में अपीलीय अधिकार, एक प्रथम श्रेणी मुख्य न्यायाधीश, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अवैतनिक

तृतीय श्रेणी का ललित सिंह (युवराज) न्यायालय फौजदारी में ज्वांइंट सिविल एंड सेशंस जज का न्यायालय था। 1945 के पूर्व न्यायाधीशों की शिक्षा और पदोन्नति के निश्चित नियम नहीं थे। राजा ही न्यायालयों का निरीक्षण करता था। भूपदेव सिंह के वक्त न्यायाधीशों की संख्या योग्यता के निर्धारण का अधिकार कॉमन हाई कोर्ट को प्राप्त हो गया। 1944–45 में फौजदारी मामले में 1069 प्रकरण थे लंबित मामले 166 थे।[72]

न्याय प्रशासन फौजदारी

रायगढ़ रियासत

वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या	अभियोजित या रिहा व्यक्तियों की संख्या	दोष मुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्ध ठहराये गये व्यक्तियों की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या
1924	545	959	437	340	070
1925	524	809	433	292	033
1927	678	1134	700	331	057
1928	734	1182	578	374	122
1930	668	1057	536	410	094
1934	766	1407	589	553	227
1935	806	1595	690	512	206

1936	755	1574	813	408	236
1938	781	1554	678	565	—
1943–44	1015	2032	947	470	—
1945–46	1069	3045	889	710	—
1946–47	1315	1351	—	—	—

न्यायिक प्रशासन दीवानी

रायगढ़ रियासत

वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या	निर्णित प्रकरणों की संख्या	डिग्री प्राप्त प्रकरणों की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या
1924	0873	719	128	—
1925	0773	—	131	—
1927	0978	—	214	—
1928	1168	—	263	—
1930	1339	—	—	272
1934	1013	741	189	273
1935	1085	—	303	254

1936	1018	764	175	—
1938	0885	621	175	—
1943–44	0885	512	106	313
1944–45	0831	—	—	—
1945–46	0901	353	—	96

निम्नांकित विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रायगढ़ रियासत के न्याय व्यवस्था चुस्त दुरूस्त थी।

3.7 शिक्षा व्यवस्था.

3.7.1 चक्रधरसिंह के पूर्व शिक्षा व्यवस्था.

रायगढ़ रियासत में बीसवीं सदी के प्रारंभ तक शैक्षणिक विकास शासकों की नीतियों के अनुरूप नहीं था। रायगढ़ रियासत में 1870 तक एक पाठशाला थी जिसमें 50 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। अंग्रेजी शासन द्वारा 1884 में शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार शिक्षा के पर्यवेक्षण के लिए रियासतों को अपने निजी निरीक्षक नियुक्त करने को कहा गया था। किंतु इस क्षेत्र में शिक्षा के विकास की गति इतनी धीमी थी कि ब्रिटिश सरकार ने सन् 1895 से एक पृथक एजेंसी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की नियुक्ति की थी, जो शिक्षा के पर्यवेक्षक का कार्य करता था।[73] सर्वप्रथम गनपत लाल चौबे इस पद पर नियुक्त किए

गए थे तथा उन्होने 1897 में संपूर्ण छत्तीसगढ़ की रियासतों में शिक्षा की स्थिति पर पर्यवेक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन शासन के समक्ष प्रस्तुत किया था। "रिपोर्ट ऑन दी एजुकेशन इन छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स 1897" रियासतों के शासकों व जमीदारों के बच्चो के लिए सन् 1892 में छत्तीसगढ़ की रियासतों के अंशदान से रायपुर मे राजकुमार कॉलेज की स्थापना की गई। इसके पश्चात् सामान्य जनता हेतु शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाने लगा।[74]

इस तरह सन् 1890 में जहां रायगढ़ रियासत में कुल 12 विद्यालय थे और विद्यार्थियो की संख्या 660 थी। 1919 में नटवर सिंह के शासन के दौरान यह संख्या क्रमशः 39 और 2909 थी और इस समय शिक्षा पर व्यय की जाने वाली राशि लगभग 24338 रूपये थी। इस दौरान नए–नए विद्यालय खुलते रहे। 1902 में सर्वप्रथम रायगढ़ में अंग्रेजी माध्यमिक शाला खोली गई।

3.7.2 राजा चक्रधरसिंह के शासनकाल में शिक्षा.

राजा चक्रधर सिंह ने अपनी रियासत में शिक्षा के ऊपर अधिक ध्यान दिया। जब 1924 में राजा चक्रधर सिंह ने शासन संभाला तब कुल विद्यालय और विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 41, 3254 थी । जो 1945–46 तक कालांतर में बढ़कर क्रमशः 50 और 3769 पहुंच गई। शिक्षा पर व्यय जहां 1924 में 38715 रूपये था, वह 1943–44 में लगभग 54223 रूपये था।[75] उनके शासनकाल में सन् 1931–40 के दशक के अंतिम वर्षो में शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त जागृति देखने में आई। सन् 1931

में रायगढ़ मे एक विशेष प्रकार की शाला थी , 1934 में नगरपालिका रायगढ़ द्वारा एक संस्कृत पाठशाला चलाई जा रही थी । सन् 1935 में संस्कृत पाठशाला के लिए 9000 रूपये की लागत से भवन का निर्माण किया गया । इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई, कई छात्रवृत्तियां दी जाती थीं।

1934 में शालाओं की छात्रवृत्तियों के अलावा इंजीनियरिंग तथा हेण्डीक्राफ्ट कार्य के लिए छात्रवृत्ति दी गई। राजा चक्रधर सिंह स्वयं शिक्षा व पाठ्यक्रम पर ध्यान देते थे। उन्होने आदेशित कर शालाओं हेतु " रियासत का भूगोल" लिखवाया था । स्त्री शिक्षा में बहुत धीमी प्रगति रही। सन् 1945–46 में रायगढ़ में विद्यालयों में कुल 589 छात्राऐ थीं , पर धीरे–धीरे शिक्षा में प्रगति होती रही। सन् 1931 तक रायगढ़ में साक्षरता का प्रतिशत 85 प्रति हजार तक हो गया।[76]

3.8 लोक स्वास्थ्य सेवायें.

प्राचीन काल से ही रायगढ़ रियासत में आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी। 1890 में रियासत में एक अस्पताल था और 1500 रूपये स्वास्थ्य पर खर्च हो रहे थे। इस साल 6023 रोगियों का उपचार हुआ। 7760 टीके लगे और 78 माईनर आपरेशन हुए।

राजा चक्रधर सिंह के शासनकाल में चिकित्सा सुविधाएं संतोषजनक थीं । 1924 में जहां 4 अस्पताल थे 1946 में एक अस्पताल और खुला । 1946 में 177390 रोगी उपचार करा सके थे। इस दौरान लगभग 1377

माईनर ऑपरेशन हुए थे। टीका लगवाने की व्यवस्था 1901 से ही चल रही थी।

खरसिया में 1906 से एक धर्मार्थ औषधालय था जो छत्तीसगढ़ रियासतों के पोलिटिकल ऐजेण्ट बूमैक के सम्मान में खोला गया था। 1919 में घरघोड़ा और लैलूंगा में भी अस्पताल था। 1924 में एक पशु चिकित्सालय था। राजा चक्रधर सिंह ने 1935 में लेडी बटलर के नाम से एक महिला चिकित्सालय व शिशु कल्याण केन्द्र खोला ।[77] इसी तरह रियासत में स्वच्छता कार्य पर गांव से लेकर शहर तक अच्छी देखभाल थी। ताकि बीमारियों और महामारियों को रोका जा सके, और जनता को आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सेवायें देने की पर्याप्त व्यवस्था की जाती थी। जैसा कि भानुप्रताप जी कहते हैं– "राजा चक्रधर सिंह स्वास्थ्य सेवाओं को जनता का सर्वोपरि अधिकार मानते थे, और जनता के स्वास्थ्य के लिए चिंति रहते थे।"[78]

3.9 राजस्व प्रशासन.

3.9.1 नरेश चक्रधर सिंह के पूर्व राजस्व व्यवस्था.

किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व का बड़ा योगदान रहता है। राजस्व से तात्पर्य देश या राज्य के सीमा के अंतर्गत आने वाले भूमि , वन एवं अन्य संसाधनों से कर वसूलना। प्राचीन काल से ही राजा अपनी प्रजा से उनकी उपज का एक निश्चित भाग राजस्व के रूप मे लिया करते थे। राजस्व वसूलने की यह प्रथा समय के अनुसार बदलती

रही है। यदि हम रायगढ़ रियासत की बात करें, तो यहां भू–राजस्व का निर्धारण और प्रबंधन, गौटिया प्रथा से प्रभावित रहा। इस कारण रायगढ़ रियासत को अन्य रियासतों की अपेक्षा गौटिया पद्धति का गढ़ कहा गया।[79] यहां की राजस्व व्यवस्था कुछ हद तक महालवारी व्यवस्था से मेल खाती थी। यहां प्रत्येक गांव का राजस्व एक मुंस्त तय किया जाता था। जिसका अनुमान पंचायत द्वारा लगाया जाता था। जिसमें गांव का गौटिया तथा रियासत का एक पदाधिकारी शामिल होता था।[80] संपूर्ण रैयती भूमि रियासत की मांग के समुचित वितरण की दृष्टि से जोतों में विभाजित कर दी जाती थी, जिन्हे खुटिया कहते थे।[81] प्रत्येक जोत का एक सापेक्ष मूल्य का आकलन खंडियों में किया जाता था। एक खंडी 20 तांबी या 40 सेर चांवल के बराबर था।[82] गोटिया की भोगरा भूमि राजस्व मुक्त हुआ करती थी, तथा उसका क्षेत्र कितना हो इस संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं था। प्रारंभ में गोटियाओं के साथ वार्षिक बंदोबसत किए जाते रहे, किंतु बाद में तीन वर्ष तक के लिए वृद्धि की गयी और पट्टो के नवीनीकरण पर नजराना वसूल किया जाता था। नजराने गौटिया से उसकी भोगरा भूमि के कारण वसूल किए जाते थे। परंतु राजस्व का अधिकांश भाग गौटियों द्वारा रैयतों से वसूला जाता था। नजराने की कीमत अदा करने के लिए स्पर्धा बढ़ने के कारण कई कुरूतियां उत्पन्न हो गई जिसके कारण 1882 में इसे बंद कर दिया गया।[83] पट्टा दिये जाने के अवसर पर गौटिया राजा को अपनी ओर

आकर्षित करने के लिए छोटी धन राशि भेंट करता था, जिसके बदले में राजा उसे कपडे के टुकड़े में लिपटा हुआ पान भेंट करता था।[84] इस समय रायगढ़ रियासत में राजस्व का भुगतान कौड़ियों के द्वारा किया जाता था। एक रूपया 12 डोंगनी कोड़ियों के बराबर होता था। 1869 में राजस्व की मांग रूपये में की गई तब कौंडियों का मेट्रिक मूल्य 16 डोगनी कौडियों बराबर एक रूपया निश्चित किया गया, तथा जिस गांव का राजस्व कौडियों में 80 रूपये था उसे 60 रूपये का दिया गया था।[85]

यह उल्लेखनीय है कि रायगढ़ रियासत में भू–राजस्व की गोंटिया पद्धति प्रचलित थी, उसमें रैयती भूमि की जोत का सापेक्ष मूल्य तो आंका जाता था परंतु यह निश्चित नहीं होता था कि इस मूल्य का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाय। इस प्रकार कृषक की जोत से भू–राजस्व का निर्धारण करने का पूर्ण अधिकार गोंटिया का होता था, तथा वह गोंटियां अपने गांव के कृषकों से अधिक भू राजस्व वसूल करने का प्रयास करता था। कौडियों में राजस्व का भुगतान करने का तात्पर्य गौंटिया द्वारा राजा को मुद्रा में राजस्व का भुगतान करना होता था । रियासत में राजस्व वसूली के लिए तंदखार की नियुक्ति की जाती थी। ये रैयतों के निर्धारण तथा गौटियाओं द्वारा जमा के भुगतान का पर्यवेक्षण करते है, और जिस उपकर द्वारा उन्हे पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता था वह तंदखारी कहलाता था।[86] तथा वे राजस्व की मांग में वृद्धि करने व घटाने के प्रयोजनार्थ अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले

गांवो की स्थिति के संबंध में राजा को जानकारी देने के लिए उत्तरदायी होते थे। उनके पारिश्रमिक के लिए प्रति गांव एक रूपया के हिसाब से उपकर की वसूली की जाती थी। प्रत्येक गांव के एक चौथाई भाग का भुगतान राजपरिवार के उपयोग के लिए वस्तु के रूप में किया जाता था।[87]

विभिन्न उपकरों की वसूली भी थी। नवरात्रि (दशहरा) के समय प्रत्येक गांव से राजा को एक रूपये का टिका, एक बकरा, 8 तांबी या एक सेर चांवल तथा एक सेर घी भेंट दी जाती थी। इस अवसर पर राजा प्रत्येक गांव के गोंटिया को 8 आने मूल्य का कपड़े का टुकड़ा भेंट करता था जिसे दशहरा लाट कहा जाता था।[86] इसके अन्य उपकर यथा– मंगठा पट्टी– एक रूपया प्रति करघे के हिसाब से बनुकरों से, घानी पट्टी – एक रूपये प्रति घानी (कोल्हू) के हिसाब से तेलियों से, ठंगा पट्टी – एक रूपया प्रति दुग्धशाला के हिसाब से ग्वालों से, गुरू टिका– एक रूपया प्रति गांव राज गुरू की भेंट के लिए, भितराई टीका – एक रूपया प्रति गांव निवास के लिए , भैदारी टीका– एक रूपया प्रति गांव रियासत का लेखा–जोखा रखने के लिए, रहसबहार – एक रूपया, 16 सेर चांवल तथा 1 सेर तेल प्रति गांव कार्तिक मास में कृष्ण जनमाष्टमी के अवसर पर नृत्योत्सव आयोजन के लिए लिया जाता था।[89] गांव मे जितने कलारों के घर होते थे उतनी आसवानियॉ या भट्ठियॉ हो सकती थी जिनसे प्रति चूल्हा एक रूपये की दर से उपकर लिया जाता था। प्रारंभ में वनो पर कोई कर नहीं था किंतु 1878 में राजा घनश्याम सिंह

ने दो रूपये प्रति गांव की दर से वनों पर कर लगाया था। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देना राजा की इच्छा पर निर्भर था और इसके लिए 10 से 15 रूपये तक शुल्क लिया जाता था। राजा को विभिन्न जातियों के लिए पुजारी मनोनित करने का अधिकार था और यह भी राज्य की आय का साधन था। राजा द्वारा किए जाने वाले असामान्य व्ययों पर भी जनता से अंशदान लिया जाता था। इस तरह राजपरिवार में होने वाले विवाह के अवसरों तथा राजा द्वारा हाथी खरीदे जाने पर भी प्रत्येक गांव अपना अंशदान करता था।[90]

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि रायगढ़ रियासत में प्रजा पर केवल भू राजस्व ही नहीं लगाया जाता था वरन् अनेक प्रकार के उपकर भी लगाये जाते थे। ये उपकर प्रत्येक कृषक से न लिये जाकर प्रत्येक गांव से विभिन्न मदों के लिए वसूल किए जाते थे। रियासत के लोग उपकरों का भुगतान नकद अथवा वस्तुओं के रूप में भी कर सकते थे। तथापि ये उपकर इतने अधिक नहीं थे कि इनसे प्रजा का शोषण हो।

3.9.2. चक्रधर सिंह का राजस्व प्रशासन में योगदान.

राजा चक्रधर सिंह ने भी राजस्व प्रशासन में बहुत अधिक सुधार किये। इसके शासन काल में रियासत की जमीदारियों में बंदोबस्त किये जाने का कार्य दिसंबर 1925 में शुरू हुआ और तीनों परगनों क्रमशः रायगढ़, बरगढ़ और तमनार में गिरदावली का कार्य पूर्ण होने के उपरांत 6 जमीदारियों में 1927 में बंदोबस्त का कार्य पूर्ण हुआ। इस वर्ष 20,000 रूपये के तकावी ऋण वितरित किए गए।[91] जमींदारी में बंदोबस्त

रियासत द्वारा किया गया तथा लागत जमींदारों से वसूल की गई। सभी जमींदारों को बंदोबस्त के समय शासन प्रमुख के द्वारा पट्टे प्रदान किये गए और ये वही पट्टे थे जो खालसा भाग में थे। इनमें अंतर केवल इतना था कि गोंटिया को जमींदार को लगान का भुगतान करना आवश्यक था। यदि किसी बंदोबस्त के दौरान कोई ग्राम गोटिया द्वारा समर्पित कर दिया जाता था या अन्य कारणों से खास हो जाता था तो जमींदार किसी जमीदारी ग्राम का ठेका एक पंजीयित करार द्वारा निश्चित प्रतिशत कर देते थे और इस अवसर पर वसूल किया गया नजराना जमींदार अपने पास रख लेता था।[92] जमींदार टकोली का भुगतान करते थे जो बंदोबस्त में जाती थी तथा उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता था, परंतु वह जमींदार की आय का निश्चित प्रतिशत नहीं होती थी। जमींदारों के अलावा 40 ग्राम रियासत में स्थित विभिन्न मंदिरों तथा इलाहाबाद और पुरी में स्थित मंदिरों के अनुरक्षण के लिए दिए गए थे। कुछ गांव व्यक्तियों के जीवन निर्वाह तथा अन्य प्रयोजनों के लिए प्रदान किए गए थे। इन ग्रामों का प्रबंधन रियासत द्वारा मान्यता प्राप्त गौटियाओं द्वारा किया जाता था।[93] 16गांव खम्हार गांव थे जो राजपरिवार द्वारा कर मुक्त रूप से धारित थे।

सन् 1938 में रानी साहिबा की मृत्यु के उपरांत उनके नाम के तीन गांव बेच दिए गए थे । शेष पड़िगांव , कोतरा, खरसियां, सिंघरा, बोतलदा, बिंजकोट आदि थे जिनकी व्यवस्था एवं देखरेख खमार विभाग करता था।[94] ऐसे ग्रामों की सीर भूमि आमतौर पर अस्थाई पट्टो पर कृषकों

को दे दी गई थी। खमार गांवो से 4300 रूपये की आय होती थी तथा माफी ग्रामों से माफीदारों से 9000 रूपये की आय होती थी।[95] 1928 में हल्काबंदी पद्धति प्रारंभ हुई। पटवारी और राजस्व निरीक्षक संबंधित हल्को में नियुक्त किये गये। 1944 में संपूर्ण रियासत में 808 ग्राम जिसमें 160 जमींदारी, 50 पटवारी हल्को, 5 राजस्व सर्किल में वभिक्त थे। राजस्व प्रशासन हेतु रियासत रायगढ़, घरघोड़ा 2 तहसीलों और 4 राजस्व वृत्तों – रायगढ़, घरघोड़ा, खरसिया, पुसौर में विभक्त था।[96] भूअभिलेख विभाग अधीक्षक के आधिन था अधिक्षक व तहसीलदार राजस्व मामलें देखते थे। वे प्रतिवेदन साहायक दीवान को भेजते थे। उसके विरूद्ध अपीलीय अधिकार दीवान के न्यायालय में थे। अतः वह राजस्व प्रशासन के शीर्ष पर था। 1924 में भू – राजस्व वसूली 89007 रूपये थी जो 1944–45 में 37951 रू. थी अंग्रजो ने ही सर्वप्रथम आबकारी विभाग पर समुचित ध्यान दिया। 1867 के सनद की धारा 9 के अन्तर्गत रियासतों को निर्देश था, कि आबकारी व्यवस्था ठीक करें ताकि समीपवर्ती ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए आसवन केन्द्र बने यहां बनने वाली शराब ही लायसेंसधारी विक्रेता बेचते थे। अफीम, गांजा अब ब्रिटिश कोषालयों से मिलने लगा।

पाद टिप्पणी

अध्याय – 3

नरेश चक्रधर सिंह का प्रशासन में योगदान

1. प्यारे लाल गुप्त, प्राचीन छत्तीसगढ़, पृष्ठ 196–197.
2. उपरोक्त – पृष्ठ, 200.
3. उपरोक्त – पृष्ठ, 200.
4. अतुल कुमार श्रीवास्तव, रायगढ़ समूह की रियासतों का प्रशासनिक. एवं सांस्कृतिक अध्ययन, पृष्ठ 113.
5. अतुल कुमार श्रीवास्तव, रायगढ़ समूह की रियासतों का प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, पृष्ठ 113.
6. रिचर्ड जेनकिन्सन, रिपोर्ट ऑन दी राजा आफ नागपुर, पृष्ठ 56.
7. प्यारे लाल गुप्त पूर्वोद्धत, पृष्ठ 126.
8. अतुल कुमार श्रीवास्तव, रायगढ़ समूह की रियासतों का प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, पृष्ठ 114.
9. पूर्वोद्धत, पृष्ठ 114.
10. एच. एन.सिन्हा, सिलेक्शन्स फ्रॉम नागपुर रेसिडेन्सी रिकार्डस, पृष्ठ 14–15.
11. सी. यू. एचिसन ए कलेक्सन आफ ट्रीटीज इंगेजमेंन्ट्स एण्ड सनदस रिलेंटिंग टू इंडिया एण्ड नेबरिंग कंट्रीज, पृष्ठ 532.

12.फारेन डिपार्टमेंट (पोलिटिकल ए) प्रोसिडिंग जून 18 कं. 14–16 पृष्ठ 4.

13.मिश्रा अर्चना, लघु शोध प्रबंध– रायगढ़ नरेश चक्रधर सिंह एवं उनका युग, पृष्ठ 50.

14. एम. ए. खान फारमेशन एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन आफ सेन्ट्रल प्राविन्सेहज, 1861–1870 पृष्ठ 61.

15.फारेन डिपार्टमेन्ट (पोलिटिकल ए) प्रोसिडिंग अगस्त 1862 कं. 7–11.

16.फारेन डिपार्टमेन्ट (पोलिटिकल ए) प्रोसिडिंग मई 1865 कं. 269–271.

17.फारेन डिपार्टमेन्ट (पोलिटिकल ए) प्रोसिडिंग मई 1866 कं. 23–25, पृष्ठ 117.

18.फारेन डिपार्टमेन्ट (पोलिटिकल ए) प्रोसिडिंग मई 1887 कं. 204–205.

19.फारेन एण्ड पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट, सितम्बर 1919 कं. 5–6 पार्ट बी.

20.ए. सी लाथियन, रिर्पोट आन द कास्टीट्यूशनल पोजिशन ऑफ दी स्टेट्स इन बिहार, उड़ीसा एन्ड सेन्ट्रल प्राविन्सेज, पृष्ठ 64.

21.मिश्रा अर्चना, लघु शोध प्रबंध– रायगढ़ नरेश चक्रधर सिंह एवं उनका युग, पृष्ठ 54.

22. फारेन डिपार्टमेंट (पालिटिकल ए) प्रोसिडिंग जनवरी 1866 क्रं. 182–183.

23. दरबार ऑफिस रायगढ़ स्टेट फाइल नं. ए–3–1 (2)–45–1–1945.

24. पूर्वोद्धत.

25. एनुअल एडमिनिसट्रेशन रिर्पोट, रायगढ़ स्टेट 1945 पृष्ठ 5.

26. मिश्रा अर्चना, लघु शोध प्रबंध– रायगढ़ नरेश चक्रधर सिंह एवं उनका युग, पृष्ठ 55.

27. ए. सी लाथियन, रिर्पोट आन द कास्टीट्यूशनल पोजिशन ऑफ दी स्टेट्स इन बिहार, उड़ीसा एन्ड सेन्ट्रल प्राविन्सेज, पृष्ठ 64.

28. प्रोग्रेसिव रायगढ़, पृष्ठ 8.

29. रायगढ़ स्टेट सर्विस रेग्युलेशन्स, पृष्ठ 1–2.

30. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिर्पोट रायगढ़ स्टेट, 1945–46 पृष्ठ 89–90.

31. प्रोग्रेसिव रायगढ़, पृष्ठ3.

32. एजेन्सी फाइल नं. 22.1.45 रायगढ़ स्टेट काउन्सिल.

33. दरबार आफसि रायगढ़ स्टेट फाइल नं. ए–3–1(2)45/1946.

34. प्रोग्रेसिव रायगढ़, पूवोद्धत, पृष्ठ 13.

35. रायगढ़ समाचार (मासिक पत्रिका) रायगढ़ दरबार से प्रकाशित 1940 पृष्ठ 133.

36.रायगढ़ जिला गजेटियर, पृष्ठ 267–271.

37.प्रोग्रेसिव रायगढ़, पृष्ठ 4.

38.रायगढ़ जिला गजेटियर, पृष्ठ 269–271.

39.एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिर्पोर्ट रायगढ़ स्टेट 1945–46, पृष्ठ 10–11.

40.रायगढ़ जिला गजेटियर, पृष्ठ 273–275.

41.एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिर्पोर्ट रायगढ़ स्टेट 1945–46, पृष्ठ11.

42. एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिर्पोर्ट रायगढ़ स्टेट 1945–46, पृष्ठ 11–12.

43. उपरोक्त.

44.प्रोग्रेसिव रायगढ़, पृष्ठ 5.

45. रायगढ़ जिला गजेटियर, पृष्ठ 272.

46. प्रोग्रेसिव रायगढ़ पृष्ठ 5.

47.एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट रायगढ़ स्टेट 1945–46 , पृष्ठ 13–14.

48.रायगढ़ जिला गजेटियर, पृष्ठ 277.

49.ई .ए. डीब्रेट,सी.पी.गजेटियर,छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स, पृष्ठ 42.

50.एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट रायगढ़ स्टेट 1945–46, पृष्ठ 10.

51.अतुल कुमार श्रीवास्तव, रायगढ़ समूह की रियासतों का प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन पृष्ठ 114.

52.एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1924–25.

53.एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1925 पृष्ठ 42, 1928 पृष्ठ 8 तथा 1930, पृष्ठ 9.

54.एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1934 पृष्ठ 1, 1935, पृष्ठ 4.

55.मिश्रा अर्चना, लघु शोध प्रबंध– रायगढ़ नरेश चक्रधर सिंह एवं उनका युग, पृष्ठ 63.

56.ई.ए.डी.ब्रेट , पूर्वोद्धत , पृष्ठ 189 तथा एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1910

57.एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1924, पृष्ठ 35.

58.अतुल कुमार श्रीवास्तव , रायगढ़ समूह की रियासतो का प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, पृष्ठ 181.

59.मेजर पी. वेन्स ऐगन्यु ए रिपोर्ट ऑन दी सूबा ऑर प्राविन्स ऑफ छत्तीसगढ़ , नागपुर 1820, पृष्ठ 42.

60.रायगढ़ जिला गजेटियर, पृष्ठ 244.

61.ई.ए.डी ब्रेट पुर्वोक्त, पृष्ठ 12.

62.रायगढ़ जिला गजेटियर, पृष्ठ 244.

63. सी.यू. एचिसन, ए कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज इगेजमेंन्ट्स एण्ड सनद्स रिलेटिंग टु इंडिया एण्ड नेबरिंग कंट्रीज जिल्द, पृष्ठ 548.

64.एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1882, पृष्ठ 38.

65.एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1894 पृष्ठ 51.

66.एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1910 पृष्ठ 11.

67.मिश्रा अर्चना, लघु शोध प्रबंध– रायगढ़ नरेश चक्रधर सिंह एवं उनका युग पृष्ठ 66.

68.एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1935, पृष्ठ 6.

69.एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1938 पृष्ठ 7–9 1940 पृष्ठ 3 एवं 9.

70.अतुल कुमार श्रीवास्तव , रायगढ़ समूह की रियासतो का प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन पृष्ठ 189.

71.एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट रायगढ़ स्टेट 1945–46 पृष्ठ 37.

72.मिश्रा अर्चना, लघु शोध प्रबंध– रायगढ़ नरेश चक्रधर सिंह एवं उनका युग, पृष्ठ 67.

73.श्रीवास्तव अतुल कुमार पूर्वोद्धत, पृष्ठ 142.

74.पूर्वोद्धत, पृष्ठ 142.

75.पूर्वोद्धत, पृष्ठ 143.

76.एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1945–46, पृष्ठ 29.

77.ई.ए.डी ब्रेट पूर्वोक्त पृष्ठ 189.

78.राजकुमार भानुप्रताप सिंह से साक्षात्कार पर आधारित, दिनांक 02. 01.2005.

79.रायगढ़ जिला गजेटियर पृष्ठ 221.

80.मिश्रा अर्चना, पूर्वोद्धत, पृष्ठ 142.

81.श्रीवास्तव अतुल कुमार पूर्वोद्धत, पृष्ठ 204.

82.श्रीवास्तव अतुल कुमार पूर्वोद्धत, पृष्ठ 204.

83.ई.ए.डी ब्रेट पूर्वोद्धत पृष्ठ 181–82 नोट ऑन दी मैथड ऑफ सेटलमेन्ट इन छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स पृष्ठ 27.

84.उपरोक्त, पृष्ठ 27.

85.धानुलाल श्रीवास्तव, अष्ट अंभोज पृष्ठ 178.

86.श्रीवास्तव अतुल कुमार पूर्वोद्धत पृष्ठ 205.

87.नोट ऑन दी मैथड ऑफ सेटलमेन्ट इन छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स पृष्ठ 27.

88.उपरोक्त पृष्ठ 27.

89.श्रीवास्तव अतुल कुमार पूर्वोद्धत पृष्ठ 206.

90.ई.ए.डीब्रेट पूर्वोद्धत पृष्ठ 182.

91.एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1925 पृष्ठ 42, 1927 पृष्ठ 6.

92.रायगढ़ जिला गजेटियर पृष्ठ 222.

93.उपरोक्त पृष्ठ 222.

94.एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1938 पृष्ठ 3.

95.एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1936 पृष्ठ 2.

96. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1943–44 पृष्ठ 52.